

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम राकेश वगै.

किस्म:- एफएसएसए एक्ट;

नमूना कोड:- जी - 1878

मुकदमा नम्बर:- 66/2023

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(11)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक:-16.10.2023

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 01. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भोला राम पंसारी, एफ.बी.ओ.मैसर्स राकेश कुमार दिनेश कुमार खेल मैदान के पास उदयपुरपाटी जिला झुंझुनू हाल जिला नीम का थाना; अप्रार्थी संख्या 02. श्री दिनेश कुमार पंसारी पुत्र श्री भोला राम पंसारी, एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी, गंगा माई मंदिर के पास, आजाद चौक, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल जिला नीम का थाना; अप्रार्थी संख्या 03. श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री पी.डी. शर्मा (नॉमिनी/इंचार्ज) निवासी 50/23 रजत पथ मानसरोवर जयपुर। अप्रार्थी संख्या 04. मैसर्स मणिशंकर ऑयल'स प्रा.लि. एफ-82, रीको इण्डस्ट्रीयल एरीया, जयपुर उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 31.10.2022 को समय 05:30 पी.एम. पर मैसर्स राकेश कुमार दिनेश कुमार खेल मैदान के पास उदयपुरपाटी जिला झुंझुनू हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया। वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र श्री भोला राम पंसारी होना बताया व स्वयं को उक्त मैसर्स का विक्रेता होना बताया। विक्रेता राकेश कुमार से खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

मैसर्स राकेश कुमार दिनेश कुमार खेल मैदान के पास उदयपुरपाटी जिला झुंझुनू हाल जिला नीम का थाना पर निरीक्षण के समय विक्रेता के द्वारा सरसो तेल (कबीरा एगमार्क) का विक्रय किया जा रहा था। विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ सरसो तेल (कबीरा एगमार्क) में मिलावट का संदेह होने पर फर्म पर उपलब्ध एक रैक में 64 बोतल 500 एमएल पैकिंग में एक सरसो तेल (कबीरा एगमार्क) स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच हेतु 4 मूल पैक X 500 एमएल सरसो तेल (कबीरा एगमार्क) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 600 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तरस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जुर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।


प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर जी-1878 खाद्य पदार्थ सरसो तेल (कबीरा एगमार्क) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट अवलोकन से प्रकरण मिथ्याछाप पाया गया। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सरसो तेल (कबीरा एगमार्क) का



विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को 51,00 रु व अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को 51000 रु के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 16.10.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना